

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) रतननन्दन

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

जीवुदेवी

उनवान

बनाम

राज्यघन सकार जमीन तहसीलदार

दावा बाबत नाम डुरही U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 73

निर्णय दिनांक :- 16-05-22

वादी की ओर से स्वाम की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16-05-2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वाली स्वीकार किया जाकर राही ग्राम खंसीली की जमाखती के एका नं 88 में अंकित जीवुदेवी पतिन रामु।।।।। के प्लान पर जीवुदेवी पतिन रामु।।।।। दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार एवं उम्मानुसार राज्यन अधिनियम में संलग्न करामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सत्यनारायण)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

**वाद के खर्चे**

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	



ना.सं 2130  
16/05/2022